


20/11/19 / पत्र



दिनांक	आज्ञा पत्र
13-6-19	<p>पत्रावली प्रस्तुत बकील अपीलांत/रिजि.उपस्थित अधिकारी गवेनस आत. 29-1-20 अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 10.9.19 को पेश हो।</p>
11-9-19	<p>10-9-19 का क्र. 9001 शि.ए.रूप पत्रावली प्रस्तुत बकील अपीलांत/रिजि.उपस्थित अधिकारी गवेनस आत. 13-11-19 अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक को पेश हो।</p>
13-11-19	<p>पत्रावली प्रस्तुत बकील अपीलांत/रिजि.उपस्थित अधिकारी गवेनस आत. 29-1-20 अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक को पेश हो।</p>
29-1-20	<p>पत्रावली पेश बकील अपीलांत को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोर्टस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांत में रेसपोर्टस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांत अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तारीख तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">  भू-प्रचारक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर- (कैम्प बुन्दुर्गु)</p>

